

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

**अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग**

**लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2019**

**विषय:-** ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2019-20 में मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-115/नेडा-ए-लेखा- आयो0बजट/2019-20, दिनांक 05 अप्रैल, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत अभिकरण के प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु मद संख्या-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 2,15,00,000/-में से 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,07,50,000/- (रू0 एक करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों पर व्यय करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0स0	मद का नाम	धनराशि (रूपये में)
1.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000/-
2.	केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	7,50,000/-
योग:-		1,07,50,000/-
(रू0 एक करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र)		

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से करारकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पीओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं.-वि.वि.-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-70 में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखाशीर्षक-"2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम- 03-विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0301-नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिये रू0 1,00,00,000/-तथा 0303-केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0- 7,50,000/-"के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार

अनु सचिव ।

**संख्या एवं दिनांक: तदैव।**

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।